A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
57/अपील/2018	11.06.2018	29.11.2024

1. सुरेश धाकड आत्मज स्वर्गीय बद्रीलाल धाकड निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी झोटवाडा जयपुर —**अपीलान्ट**

बनाम

1. गोमदा आत्मज स्वर्गीय चतरा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. महेशपाल आत्मज स्वर्गीय चतरा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. गोपाल आत्मज स्वर्गीय चतरा जाति धाकड निवासी छाबडियों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. श्रीमति भूरी बाई आत्मज स्वर्गीय चतरा जाति धाकड निवासी छाबडियों को नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी। —**रेस्पोडेन्ड**

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री वहिद अहमद एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर— विद्वान अभिभाषक रघुवीर सिंह
रेस्पो0 संख्या 5 की ओर — पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 08.12.2004 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलाधीन आदेश से कृषि भूमि खसरा सख्या 122 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम छाबडियों का नया गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सख्या 122 रकबा 10 बीघा जो चतरा के हिस्से में आई थी सम्पूर्ण भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 32 बीघा 9 बिस्वा है जिसमें स्वर्गीय चतरा आ0 कस्तुरा का अन्य खातेदारान् के साथ संयुक्त खाता हैं। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में चतरा आ0 कस्तुरा के स्वर्गवास के उपरांत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 एवं मोहिनी बाई सोहन बाई, सन्तरा बाई, कमला बाई, इन्दरा बाई पुत्रीयां चतरा के नाम फौत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। चतरा की पुत्रीयों ने अपने हिस्से की कृषि भूमि अपने भाईयों को रिलीज कर दी। उक्त नामान्तरकरण में स्वर्गीय चतरा के बडें पुत्र बद्रीलाल धाकड का नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया। बद्रीलाल धाकड का दिनांक 09.10.1984 को ग्राम रजलावता में स्वर्गवास हो चुका है, अपीलांट स्वर्गीय बद्रीलाल का एक मात्र पुत्र हैं। बद्रीलाल की पत्नी गोपाली बाई

A 6/2

थी जिससे अपीलान्ट सुरेश पैदा हुआ। बद्रीलाल के स्वर्गवास के उपरांत गोपाली बाई घासीलाल के नाते चली गई। सुरेश की पढाई लिखाई घासीलाल द्वारा करवाने से सुरेश के विधालय में अध्ययन के समय घासीलाल का नाम दर्ज करवा दिया था। अपीलांट बद्रीलाल का ही पुत्र हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय स्वर्गीय चतरा आ0 कस्तुरा के वारिसान की जॉच नहीं की गई। अतः नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 08.12.2004 को निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम रेस्पोडेन्टगण के साथ नामान्तरकरण में अंकित किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ड ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 08.12.2004 तहसीलदार हिण्डोली द्वारा संपूर्ण विधिक जांच एवं सुनवाई उपरांत खोला गया हैं जो विधि अनुरूप हैं। अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगण के पिता चतरा के पुत्र बद्रीलाल का पुत्र नहीं है, वह अन्य व्यक्ति घासीलाल का पुत्र है जो झोटवाडा जयपुर के वार्ड संख्या 40 का निवासी है और वार्ड संख्या 40 भाग संख्या 125 की मतदाता सूची में सुरेश कुमार का नाम मततदाता सूची के क्रमांक 1213 दर्ज हैं। मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली में पेश है। अपीलान्ट तथ्य छिपाकर यह नामान्तरकरण निरस्त करवाना चाहता है। प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 08.12.2004 को यथावत रखा जावें।

पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कृषि भूमि खसरा सख्या 122 रकबा 10 बीघा जो चतरा के हिस्से में आई थी जो वाके ग्राम छाबडियों तहसील हिण्डोली का नया गांव में स्थित है। स्व0 चतरा के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्टगण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। सरपंच एवं ग्राम वासियों ने पंचनामें से अवगत करवाया गया हैं कि अपीलान्ट स्वर्गीय चतरा के बडे पुत्र स्वर्गीय बद्रीलाल का ही पुत्र हैं। बद्रीलाल के स्वर्गवास के उपरांत अपीलान्ट की माता गोपाली बाई घासीलाल के नाते चली गई। अपीलान्ट सूरेश की पढाई घासीलाल द्वारा करवायें जाने से घासीलाल का नाम पिता के रूप अंकित हो गया। अतः नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 08.12.2004 को खारिज करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 08.12.2004 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही हमारी सुविचारित राय में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं, कि वह प्रकरण का संपूर्ण विधिक परीक्षण करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बूंदी